



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-09102026-276974
CG-OR-E-09102026-276974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5275]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 5275]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

रेलवे मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 अक्टूबर, 2026

(रेलवे अधिनियम एक हजार नौ सौ नवासी की धारा बीस ए के तहत सूचना)

का.आ. 5487(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर बारिथेंगढ़(BRTG)- बायरी(BYY) स्टेशनों के बीच KM. 380/19-21 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 167A का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) तहसीलदार, दर्पण को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर बारिथेंगढ़(BRTG)- बायरी(BYY) स्टेशनों के बीच KM. 380/19-21 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 167A के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप

से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20घ की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में “खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर बारिथेंगढ़(BRTG)- बायरी(BYY) स्टेशनों के बीच KM. 380/19-21 पर आर.ओ.बी. (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 167A का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-जाजपुर

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:-आर.ओ.बी. संख्या-167A का निर्माण						
जिले का नाम:-जाजपुर, प्रभाग का नाम:-खुर्दा रोड, तहसीलदार:-दर्पण						
क्रम सं..	गाँव का नाम	प्लॉट संख्या	भूमि का किसम	कुल क्षेत्रफल (एकड़) में	अधिग्रहित जमीन (एकड़) में	भूमि का प्रकार
1	उपुला	1250		0.350	0.010	व्यक्तिगत
2	उपुला	1255		2.970	0.497	व्यक्तिगत
3	उपुला	1256	जोर	0.110	0.063	व्यक्तिगत
4	उपुला	1259		0.710	0.088	व्यक्तिगत
5	उपुला	1245	नयनजोड़ी	1.540	0.132	सरकारी
6	उपुला	1249	नयनजोड़ी	0.580	0.307	सरकारी
7	उपुला	1249/ 2693	पानी नाला	0.020	0.063	सरकारी
8	उपुला	1257	जोर	3.170	0.188	सरकारी
9	उपुला	1258	शरद जल दोफसल 1	0.200	0.121	सरकारी
10	उपुला	1214	नयनजोड़ी	9.000	0.284	सरकारी
11	उपुला	1213	रेल लाइन	5.620	0.161	सरकारी
12	उपुला	1212	नयनजोड़ी	3.500	0.106	सरकारी
13	उपुला	815	शरद 1	0.200	0.005	सरकारी
14	उपुला	814	पतित	0.260	0.167	सरकारी
15	उपुला	812	शरद 3	0.180	0.002	सरकारी
16	उपुला	652	पतित	2.560	0.197	सरकारी

17	उपुला	638	शरद 3	0.740	0.009	सरकारी
18	उपुला	632	पत्थर टांगर	12.760	0.639	सरकारी
19	उपुला	653	सड़क	0.230	0.175	सरकारी
20	उपुला	654	सड़क	4.850	0.876	सरकारी
21	उपुला	630	पत्रा जंगल	92.130	0.214	सरकारी
22	उपुला	632/ 2733	पत्थर टांगर	0.100	0.104	सरकारी
23	उपुला	631	सड़क	0.670	0.035	सरकारी
TOTAL					4.443	

[फा सं. सीएओ/सी/आरएसपी/बीबीएस/2026/आरओबी संख्या.167A/20A]

महेंद्र पित्ताला, मुख्य अभियंता(निर्माण -III)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th October, 2026

(Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989)

S.O. 5487(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment)Act,1989(24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of Special Railway Project, namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned L.C.No.167A at KM. 380/19-21 between Stations Barithengarh (BRTG)–Byree (BYY) on Howrah-Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division.” in Jajpur district of Odisha state, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely Competent Authority for Land Acquisition(CALA) & Tahasildar, Darpan for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.167A at KM 380/19-21 between Stations Barithengarh (BRTG)–Byree (BYY) on Howrah-Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.No.167A at KM 380/19-21 between Stations Barithengarh (BRTG)–Byree (BYY) on Howrah-Visakhapatnam main line under Khurda Rd. Division” in Jajpur district of Odisha State.

Name of District: -Jajpur

Annexure-I

LAND SCHEDULE						
Name of the Project: - Construction of ROB No.167A						
Name of the District: -Jajpur, Name of the Division: -Khurda Rd., Name of the Tahasil:-Darpan						
Sl. No.	Name of the Villages	Plot No.	Classification of Land	Total area in Acres	Required Area in Acres	Type of Land
1	Upula	1250		0.350	0.010	Pvt.
2	Upula	1255		2.970	0.497	Pvt.
3	Upula	1256	Jora	0.110	0.063	Pvt.
4	Upula	1259		0.710	0.088	Pvt.
5	Upula	1245	Nayanjori	1.540	0.132	Govt.
6	Upula	1249	Nayanjori	0.580	0.307	Govt.
7	Upula	1249/ 2693	Paninala	0.020	0.063	Govt.
8	Upula	1257	Jora	3.170	0.188	Govt.
9	Upula	1258	Sharad Jala Dofasal 1	0.200	0.121	Govt.
10	Upula	1214	Nayanjori	9.000	0.284	Govt.
11	Upula	1213	Rail Line	5.620	0.161	Govt.
12	Upula	1212	Nayanjori	3.500	0.106	Govt.
13	Upula	815	Sarad 1	0.200	0.005	Govt.
14	Upula	814	Patita	0.260	0.167	Govt.
15	Upula	812	Sarad 3	0.180	0.002	Govt.
16	Upula	652	Patita	2.560	0.197	Govt.
17	Upula	638	Sarad 3	0.740	0.009	Govt.
18	Upula	632	Pathara Tangara	12.760	0.639	Govt.
19	Upula	653	Rasta	0.230	0.175	Govt.
20	Upula	654	Rasta	4.850	0.876	Govt.
21	Upula	630	Patra jungle	92.130	0.214	Govt.
22	Upula	632/ 2733	Pathara Tangara	0.100	0.104	Govt.
23	Upula	631	Rasta	0.670	0.035	Govt.
TOTAL					4.443	

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB No.167A/20A]

MAHENDER PITTALA, Chief Engineer (Con-III)